मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय

वन विभाग

वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 12/12/2008

क्रमांक/एफ 15–36/2007/10–2 : प्रदेश में बाघ एवं अन्य वन्यप्राणियों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से राज्य शासन एतद् द्वारा वन विभाग में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक के अधीन एक राज्य स्तरीय 'टाईगर स्ट्राईक फोर्स' का गठन करता है। उक्त फोर्स की संरचना निम्नानुसार होगी:–

1. राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स का प्रभारी अधिकारी मुख्य वन संरक्षक स्तर का होगा।
2. भोपाल स्थित एन्टी पोचिंग स्क्वाड को अब राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स कहा जायेगा एवं इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा।
3. सिवनी स्थित एन्टी पोचिंग स्क्वाड का मुख्यालय परिवर्तित कर इन्दौर किया जावे।
4. वन विभाग में कार्यरत अन्य 5 एन्टी पोचिंग स्क्वाड जो वर्तमान में जबलपुर, इटारसी, सतना, सागर एवं सिवनी में स्थित है, इस राज्य स्तरीय 'टाईगर स्ट्राईक फोर्स' के अधीन होंगे एवं इन्हें क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स कहा जायेगा। इन ईकाइयों के कार्य क्षेत्र निम्नानुसार होंगे:–

क्र.	मुख्यालय	कार्य क्षेत्र(वन वृत्त)
	इन्दौर	इन्दौर, उज्जैन एवं खण्डवा
	जबलपुर	जबलपुर, सिवनी, बालाघाट एवं छिन्दवाड़ा
	इटारसी	भोपाल, होशंगाबाद एवं बैतूल
	सागर	सागर, शिवपुरी एवं ग्वालियर
	सतना	रीवा, शहडोल एवं छतरपुर

5. राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स, भोपाल में निम्नानुसार अधिकारी/कर्मचारी होंगे :–

1– दल प्रमुख – मुख्य वन संरक्षक अथवा वन संरक्षक स्तर के अधिकारी होंगे।
2– उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक – 1
3– वन क्षेत्रपाल – 2
4– फारेस्टर/वनरक्षक – 2
5– स्टेनो – 1
6– असिस्टेन्ट कम्प्यूटर ऑपरेटर – 1
7– अर्दली – 4
8– डाक रनर – 2
9– वाहन चालक – 3

6. टाईगर स्ट्राईक फोर्स की स्थापना हेतु नये पदों का सृजन नहीं किया जावेगा।

D:\Kiran\Orders\State level Anti poaching order(1).doc

7. स्टेनो, सहायक कम्प्यूटर ऑपरेटर, अर्दली, डाक रनर एवं वाहन चालक आदि विभाग में उपलब्ध दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में से उपलब्ध कराये जायेंगे तथा योग्य व्यक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में (स्टेनो, सहायक कम्प्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक, डाक रनर, अर्दली आदि) संविदा नियुक्ति एवं जॉब दर पर व्यवस्था की जायेगी।

8. राज्य स्तरीय फोर्स एवं 5 क्षेत्रीय ईकाइयों में पदस्थ अधिकारियों /कर्मचारियों को मूल वेतन का 15 प्रतिशत अतिरिक्त मानदेय दिया जावेगा एवं ईकाई प्रभारियों को आहरण एवं संवितरण का अधिकार भी होगा।

II. इस फोर्स के गठन/संचालन के फलस्वरूप राज्य शासन पर कोई वित्तीय भार नहीं आयेगा। फोर्स के अनावर्ती व्यय की पूर्ति कैम्पा निधि (CAMPA)से की जायेगी। आवर्ती व्यय की पूर्ति राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से अनुदान प्राप्त कर की जायेगी।

III. यह फोर्स मुख्यतः वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972, यथा संशोधित के अन्तर्गत अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिये प्रदेश में सूचना तंत्र (Intelligence Network) का विकास एवं संचालन करेगा तथा पुलिस, केन्द्रीय वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण ब्यूरो एवं अन्य संबंधित संस्थाओं से इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये समन्वय करेगा।

IV. इस टाइगर स्ट्राइक फोर्स की स्थापना हेतु सहमति वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 260/382/चार/ब-5/08, दिनांक 16.05.2008 द्वारा दी गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल नाम से
तथा आदेशानुसार
11/12/08
(सत्यानन्द)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 11/12/2008

पृ.क्रमांक/एफ-15-36/2007/10-2

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश, भोपाल,
3. समस्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश एवं
4. समस्त क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यान, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग